

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई-मेल:adpensionsjed@gmail.com दूरभाष: 0141- 2740637

क्रमांक :-एफ.9(05)(12-11)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/ 12 468

जयपुर दिनांक 16/12/19

आदेश

राजस्थान सिलिकॉसिस नीति 2019 के अनुसार सिलिकॉसिस पीडित व्यक्ति के लिए निम्नानुसार पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है-


क्र.स.	विवरण	पेंशन की दर
1	सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी (Policy on Pneumoconiosis) के अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समिति से जारी प्रमाण-पत्र धारक हो, के मामले में-	राशि रुपए 1,500/- प्रति माह

इसकी पात्रता निम्नानुसार होगी:-

1. वह व्यक्ति प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित होने का प्रमाण-पत्र धारक हो।
2. वह व्यक्ति राजस्थान का निवासी हो।
3. राजस्थान में कार्यरत श्रमिक, जो चाहे अन्य राज्य का निवासी हो परन्तु जो राजस्थान में कार्य करने के दौरान सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित हुआ हो, इस हेतु पात्र माना जाएगा।
4. यदि सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी पात्र है, तो उसे उस श्रेणी अथवा सिलिकॉसिस पेंशन, दोनों में से जो अधिक लाभदायक हो, उस श्रेणी में पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
5. सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए आय की सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी।
6. सिलिकॉसिस प्रमाण-पत्र जारी होने से पेंशन स्वतः स्वीकृत हो जाएगी।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 101905241 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

उक्त आदेश दिनांक 16.12.2019 से प्रभावी होगा।


(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.9(05)(12-11)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअधि/2014-15/ 12469-13069 जयपुर दिनांक 16/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सुविधा RAJSSP पोर्टल पर उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कम्प्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाघाय)